



## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर - 492001

दूरभाष क्र. -0771-4073555 फ़ैक्स: 4073553

ई-मेल: [cserc.sec.cg@nic.in](mailto:cserc.sec.cg@nic.in), वेबसाइट: [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in)

### राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उदग्रहित तथा संग्रहित फीस और प्रभारों एवं अन्य संबंधित विषयों पर विनियम, के प्रारूप पर सुझाव आप्तियों एवं टिप्पणियों के आमंत्रण के संबंध में आम सूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 32 (3) सहपठित धारा 181 (2) (g) में प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करते हुए आयोग द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु फीस और प्रभारों एवं अन्य संबंधित विषयों पर जारी किये जाने वाले विनियम का प्रारूप तैयार किया गया है। विनियम का प्रारूप एवं इसके संबंध में जानकारी आयोग की वेबसाइट [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in) पर उपलब्ध है। विनियम का प्रारूप एवं संबंधित दस्तावेज कार्यालयीन अवधि के दौरान अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय में भी उपलब्ध रहेंगे।

आयोग संबंधित संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों से उपरोक्त विनियम के प्रारूप पर सुझाव एवं टिप्पणियां आमंत्रित करता है, जिन्हें कार्यालयीन अवधि में आयोग के कार्यालय में 31 मार्च 2010 तक उपलब्ध कराया जा सकता है। इस संबंध में जन सुनवाई 06 अप्रैल 2010 को प्रातः 11:00 बजे से रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में की जावेगी। जिसमें संबंधित संस्थाएं एवं इच्छुक व्यक्ति उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

(एन.के. रूपवानी)  
सचिव